GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF EDUCATION DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

RAJYA SABHA

STARRED QUESTION No. 115 TO BE ANSWERED ON 08.12.2021

Increasing public investment in education sector

*115. SHRI. SUJEET KUMAR:

Will the Minister of *Education* be pleased to state:

the details of the comprehensive roadmap and coherent implementation strategy to execute Centre-State responsibility of increasing public investment in the education sector to 6 percent of the GDP?

ANSWER MINISTER OF EDUCATION (SHRI DHARMENDRA PRADHAN)

A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 115 TO BE ANSWERRED ON 8TH DECEMBER, 2021 REGARDING INCREASING PUBLIC INVESTMENT IN EDUCATION SECTOR ASKED BY SHRI SUJEET KUMAR, Hon'ble MP:

The National Education Policy (NEP) 2020 introduced by the Government has unequivocally endorsed and envisioned a substantial increase in public investment in education by both the Central government and all State Governments in order to attain the goal of education with excellence and the corresponding multitude of benefits. In order to increase the public investment in Education sector to reach 6% of GDP at the earliest, the Centre and the States have been entrusted with the responsibility to work together.

The Policy has also recommended for providing financial support to various critical elements and components of education, such as ensuring universal access, learning resources, nutritional support, matters of student safety and well-being, adequate numbers of teachers and staff, teacher development, and support for all key initiatives towards equitable high-quality education for underprivileged and socioeconomically disadvantaged groups.

In addition to one-time expenditures, primarily related to infrastructure and resources, NEP 2020 has identified key long-term thrust areas for financing to cultivate an education system such as (a) universal provisioning of quality early childhood care education; (b) ensuring foundational literacy and numeracy; (c) providing adequate and appropriate resourcing of school complexes/clusters; (d) providing food and nutrition (breakfast and midday meals); (e) investing in teacher education and continuing professional development of teachers; (f) revamping colleges and universities to foster excellence; (g) cultivating research; and (h) extensive use of technology and online education.

भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं0 115 उत्तर देने की तारीख: 08.12.2021

शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी निवेश को बढ़ाना

*115 श्री सुजीत कुमारः

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत तक बढ़ाने के केन्द्र-राज्य उत्तरदायित्व का निर्वहन करने हेतु बनाई गई विस्तृत रूपरेखा और सुसंगत कार्यान्वयन नीति का ब्यौरा क्या है?

> उत्तर शिक्षा मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान)

विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

'शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी निवेश को बढ़ाना' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री सुजीत कुमार द्वारा दिनांक 08.12.2021 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 115 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

सरकार द्वारा पुरःस्थापित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में शिक्षा के लक्ष्य को उत्कृष्टता के साथ प्राप्त करने और इसके तदनुरूपी लाभों वालाने के लिए केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों, दोनों ही के द्वारा शिक्षा में सार्वजनिक निवेश में पर्याप्त वृद्धि करने का स्पष्ट रूप से समर्थन और परिकल्पना की गई है। शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाकर यथाशीघ्र जीडीपी के 6% तक पहुंचने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करने का दायित्व सौंपा गया है।

इस नीति में शिक्षा के विभिन्न महत्वपूर्ण तत्वों और घटकों जैसे सार्वभौमिक पहुँच, अधिगम संसाधन, पोषण संबंधी सहायता, छात्र सुरक्षा और कल्याण संबंधी मामले, पर्याप्त संख्या में शिक्षक और कर्मचारी, शिक्षकों के विकास और वंचित एवं सामाजिक-आर्थिक रूप से लाभवंचित समूहों के लिए समान उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा की दिशा में सभी प्रमुख पहलों को वितीय सहायता प्रदान करने की सिफारिश भी की गई है।

मुख्यतया अवसंरचना और संसाधनों से संबंधित एकमुश्त व्यय के अलावा, एनईपी 2020 ने शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के लिए वित्तपोषण हेतु प्रमुख दीर्घकालिक मुख्य क्षेत्रों की पहचान की है जैसे (क) गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल शिक्षा का सार्वभौमिक प्रावधान; (ख) मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सुनिश्चित करना; (ग) स्कूल परिसरों/क्लस्टरों के पर्याप्त और उपयुक्त साधन जुटाकर उपलब्ध कराना; (घ) भोजन और पोषण (नाश्ता और मध्याह भोजन) प्रदान करना; (इ.) अध्यापक शिक्षा और अध्यापकों के सतत व्यावसायिक विकास में निवेश करना; (च) उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सुधार करना; (छ) अनुसंधान को बढ़ाना; और (ज) प्रौद्योगिकी और ऑनलाइन शिक्षा का व्यापक उपयोग।

SHRI SUJEET KUMAR: Sir, the Kothari Commission, way back in 1964, had recommended six per cent of India's GDP on education. Unfortunately, it has not happened till now. In his reply, the hon. Minister has given a detailed roadmap कि हम लोग कैसे जीडीपी का 6 परसेंट एजुकेशन पर खर्च करेंगे। इसके लिए में उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। In his reply, he has also referred to the National Education Policy. Sir, National Education Policy, definitely, is one of the finest examples of public policy. NEP 2020 में Gross Enrolment Ratio का जिक्र है कि Gross Enrolment Ratio will be doubled to 50 per cent by 2050. Now, it is only 26.3 per cent. सर, में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इसको 2035 तक डबल करने का क्या रोडमैप है?

श्री धर्मेंद्र प्रधान : उपसभापति जी, मैं माननीय सदस्य का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सदन को इस प्रकार के विषय पर चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कोठारी कमीशन से अभी तक का उल्लेख किया है। हमारे प्रधान मंत्री, नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 2020 में जो 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' बनी, उन्होंने वहाँ तक का उल्लेख किया। मैं आपके माध्यम से इस सदन को इस बारे में आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारी सरकार की विश्वसनीयता क्या है। जब 2014-15 में हम लोगों पर जिम्मेवारी आई, तब हमारा expenditure जीडीपी का 4.07 था, जो प्रति वर्ष आगे बढ़ते-बढ़ते इस बार यानी 2018-19 तक, जिसका calculation हमारे पास है, 4.3 तक आया है। इस प्रकार उसकी growth trajectory आगे बढ़ रही है। आज की मौजूदा चुनौती को ध्यान में रखते हुए, 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' के तहत उच्च शिक्षा में जो Gross Enrolment Ratio कम है, उसको 2050 तक at least 50 परसेंट तक बढाएँ - यह उसका एक रोडमैप है, जिसके लिए NEP में कई प्रकार के फीचर्स जोड़े गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि उच्च शिक्षा डिग्री आधारित न हो, बल्कि employability बढ़े। इसके लिए vocational skill, multi-disciplinary education cluster, special education zone - हम इन सारे नए उपक्रमों, नए फीचर्स को शिक्षा नीति के तहत लाये हैं। हमारे देश की अर्थनीति धीरे-धीरे formal होती जा रही है, धीरे-धीरे स्ट्रक्चर्स बढते जा रहे हैं। जैसे-जैसे सरकारों की आमदनी बढ़ती है, चाहे वह भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, खर्च भी बढता है। मैंने आपको पिछले चार-पाँच साल का ब्यौरा दिया। हमने जिस प्रकार की पाँलिसी बनाई है, उसमें आने वाले दिनों में न केवल डिग्री, बल्कि हमारी शिक्षा की प्राथमिक आवश्यकता रोजगार होगा। मैंने इन सारे विषयों के बारे में कहा - multiple exit-entry, twinning of the degree, multi-disciplinary education cluster, vocational skill, apprenticeship, internship और credit earning, academic bank of credit - ये सारे फीचर्स इसमें हैं। जिसमें यह aspirational होगा, उसमें ज्यादातर नौजवान उच्च शिक्षा में आएँगे, रोजगार अभिमुखी होंगे। ये सारी योजनाएँ NEP के अंतर्गत हैं।

SHRI SUJEET KUMAR: Sir, Companies Act, 2013 mandates two per cent of companies' net profit to be spent on CSR activities for the companies are meeting certain criteria. My request and question to the Minister is: Will he recommend to the

Government that 50 per cent of the two per cent CSR spend would be on education, particularly in the Aspirational Districts?

श्री धर्मेंद्र प्रधान: उपसभापित महोदय, Aspirational Districts हमारी प्राथमिकता में हैं, इसलिए पिछले चार-पाँच सालों में हमारी RUSA जैसी स्कीम की priority देश के पिछड़े इलाके हैं। अभी चंद दिनों में हम RUSA 3.0 भी लेकर आएंगे। हम उसमें इस बात को priority दे रहे हैं कि पिछड़े जिले, डार्क इलाके, विशेषकर Aspirational Districts को कैसे महत्व देंगे। माननीय सदस्य ने एक अच्छी दिशा, एक अच्छे विषय को सदन के सामने रखा है। अभी भी सीएसआर का जो mandate है, उसमें एजुकेशन है, लेकिन हमें एक माहौल और एक consensus बनाना चाहिए कि सीएसआर का पैसा सबसे ज्यादा एजुकेशन पर खर्च हो, रिसर्च पर खर्च हो, इसी से हमारा प्यूचर जुड़ा हुआ है। कई कंपनीज़ ने इसे अपनी priority भी बनाया है। आज के दिन कई सारे private endowment, विशेषकर हमारे देश के नई पीढ़ी के जो संपन्न लोग हैं, वे अपने private endowment से शिक्षा के ऊपर बहुत सारा निवेश कर रहे हैं। यह एक अच्छा स्वभाव समाज के अंदर देखने को मिल रहा है और निश्चित रूप से, इस प्रकार की चर्चा होनी चाहिए। सीएसआर की जिम्मेदारी जिन कंपनीज़ के पास है, उन्हें मैं इस सदन के माध्यम से भी निवेदन करूँगा, उनसे आह्वान करूँगा कि वे शिक्षा पर खर्चा तो कर ही रहे हैं, लेकिन वे इसमें और खर्चा करें। सरकार भी इसके प्रति ध्यान देगी।

श्री जुगलिसंह लोखंडवाला: सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आपने बहुत सारी शिक्षा नीतियों पर बहुत अच्छा कार्य किया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही, मैं जानना चाहूँगा कि सीएसआर फंड के साथ-साथ जो अलग-अलग फंड्स होते हैं, चूँकि बच्चों के अंदर लैब के लिए जिज्ञासा होती है, तो क्या उनके माध्यम से बच्चों के लिए लैब्स बनाने के लिए कोई अलग partition रखा हुआ है? 'नई शिक्षा नीति' के अंतर्गत बच्चे वैज्ञानिक बन पाएं या कोई नया innovation कर पाएं, क्या इसमें ऐसा कोई प्रावधान किया गया है?

श्री धर्मेंद्र प्रधान : उपसभापित महोदय, 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति' का प्रमुख विषय नवाचार है। मैं आपके माध्यम से सदन में उल्लेख करना चाहूँगा कि विशेषकर 'समग्र शिक्षा अभियान' के माध्यम से भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर आने वाले पाँच साल में लगभग तीन लाख करोड़ रुपया निवेश करने वाली हैं, उसमें innovation, विशेषकर laboratories को बहुत महत्व दिया गया है। अब वह समय आ गया है, जब हम लोग वर्चुअल लैब्ज़ की ओर बढ़ रहे हैं। कम खर्च में, वैज्ञानिक तरीके से सभी विद्यालयों में डिजिटल प्लेफॉर्म के माध्यम से वर्चुअल लैब्ज़, OLabs करके एक बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। यह हमारी परम आदरणीय माता Amritanandamayi जी की संस्था की ओर से एक बहुत बड़ा initiative है। भारत सरकार उनके साथ काम कर रही है एवं अनेक राज्य सरकारों को on board लिया जा रहा है। माननीय प्रधान मंत्री जी उसमें खुद hands on monitoring कर रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए आने वाले दिनों में डिजिटल और वर्चुअल लैब्ज़ बनाना इस सरकार का प्राथमिक विषय है।

हमने 'समग्र शिक्षा अभियान' के अंतर्गत इसके लिए खूब व्यवस्था की है और इस पर ज़ोर भी दिया है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Q. No. 116. Questioner not present.